न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 25 / 2021 **दायर दिनांकः 19 / 07 / 2021**

उनवान

1. ज्योति आयु 48 वर्ष पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी मूण्डला तहसील अटरू जिला बारां राज0 हाल निवासी पाटनपोल होली का खूंट कोटा जिला कोटा राज0।

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :–

प्रार्थिया :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 08 / 11 / 2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार हल्का पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 122 का कुल किता 9 का कुल रकबा 4.77 है० व खाता संख्या 125 का कुल किता 1 का कुल रकबा 0.23 है0 आराजी प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ मं संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थिया का नाम ज्योति के स्थान पर गायत्री गलत दर्ज कर दिया है। प्रार्थिया के दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, बैंक पास बुक में प्रार्थिया का सही नाम ज्योति दर्ज है। इसलिए प्रार्थिया का नाम गायत्री पुत्री सत्यनारायण के स्थान पर सही नाम ज्योति पुत्री सत्यनारायण दर्ज किया जावे। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम गायत्री के स्थान पर सही नाम ज्योति दर्ज करवाया जाना संभव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना

पडेगा, अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम गायत्री के स्थान पर सही नाम ज्योति दर्ज कि जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती हैं कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम गायत्री पुत्री सत्यनारायण के स्थान पर ज्योति पुत्री सत्यनारायण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत PW_1 व PW_2 के शपथ पत्र पेश किये।

अभिभाषक प्रार्थिया की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया का नाम गायत्री पुत्री सत्यनारायण के स्थान पर ज्योति पुत्री सत्यनारायण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074—77 ग्राम मूण्डला तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 122 का कुल किता 9 का कुल रकबा 4.77 है0 व खाता संख्या 125 का कुल किता 1 का कुल रकबा 0.23 है0 में गायत्री पुत्री सत्यनारायण का नाम शामलाती खाते में दर्ज रिकार्ड है। अन्य प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र, बैक डायरी में प्रार्थिया का नाम ज्योति गौतम दर्ज है तथा पेन कार्ड में प्रार्थिया का नाम ज्योति गौत्तम पुत्री सत्यनारायण गौतम दर्ज है।

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मूण्डला तहसील अटरू जिला बारां राज0 की खाता संख्या 122

का कुल किता 9 का कुल रकबा 4.77 है० व खाता संख्या 125 का कुल किता 1 का कुल रकबा 0.23 है0 में प्रार्थिया सहखातेदार गायत्री पुत्री सत्यनारायण के स्थान पर ज्योति उर्फ गायत्री पुत्री सत्यनारायण दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां